उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

संख्या-2/2015/जी-1-26/दस-2015-534(26)/1922

लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- विवादों की मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त किए गए मध्यस्थों को मानदेय की अनुमन्यता।

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर उत्पन्न विवादों की मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थ के रूप में विभिन्न स्तर के सेवारत्/सेवा निवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति तथा उन्हें मध्यस्थता करने के लिए मानदेय अनुमन्य कराये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-1-1061/दस-534(26)/22, दिनांक 27 जुलाई, 1989, कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1-464/दस-99-534(26)/22, दिनांक 16 जुलाई, 1999 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या: जी-1-7/दस-2005-534(26)/22, दिनांक 16 मार्च, 2005 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यस्थों को उचित मानदेय की दरें निर्धारित करने के उद्देश्य से समुचित विचारोपरान्त विवादों में मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त तथा सेवारत् अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार मानदेय की संशोधित दरें अनुमन्य कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/मुख्य अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं के किसी एक विवाद में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ को अनुमन्य मानदेय की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी:-

(क) एक करोड़ रूपये तक के विवादों में स्थानीय कार्य हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 2500/- (दो हजार पॉच सौ रूपया) प्रति कार्य दिवस तथा अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु रू0 5000/- (पॉच हजार रूपया) प्रति कार्य दिवस परन्तु अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये)।

(ख) एक करोड़ रूपये से अधिक के विवादों में स्थानीय कार्य हेतु रू0 2500/- (दो हजार पॉच सौ रूपया) प्रति कार्य दिवस तथा अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु रू0 5000/- (पॉच हजार रूपया) प्रति कार्य दिवस परन्तु अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 1,25,000/- (एक लाख पचीस हजार रूपये)।

(2) सेवारत् न्यायिक अधिकारियों/विधि अधिकारियों/मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता के लिए उपरिलिखित बिन्दु संख्या (1)(क) तथा (1)(ख) में वर्णित प्रति कार्य दिवस के लिए निर्धारित दरों का आधी दर पर मानदेय अनुमन्य होगा परन्तु अधिकतम सीमा क्रमशः रू0 75,000/-(पचहत्तर हजार रूपये) तथा रू0 1,25,000/- (एक लाख पचीस हजार रूपये) होगी।

2- कार्यालय ज्ञाप संख्या: जी-1-1061/दस-534(26)/22, दिनांक 27 जुलाई, 1989, कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1-464/दस-99-534(26)/22, दिनांक 16 जुलाई, 1999 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1-7/दस-2005-534(26)/22, दिनांक 16 मार्च, 2005 उपरोक्त सीमा तक संशोधित माने जायेगे तथा उनकी शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

3- उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त

<u>सचिवालय के समस्त अनुभाग</u>

http://finance.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-2/2015/जी-1-26(1)/दस-2015-534(26)/1922,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
बी0 के0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in